(SDO), बाड़मेर

03/07/25 अधिवक्ता पक्षकारान उप.। वास्ते जवाब व पत्रावली बहस मूल वाद के साथ तारीख 19/08/25 को पेश करें।

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

19/08/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। मूल वाद में प्राथमिक डिक्री पारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। तात्कालिक समय में स्थगन की आवश्यकता उचित नहीं हो रही है। अतः प्रार्थिनी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली मुकदमा होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर